न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : सुरेन्द्र सिंह पुरोहित, आर0ए0एस0

खाद्य सुरक्षा परिवाद सं. 80/2022

प्रार्थी –
राजस्थान सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थी –
केवलाराम पुत्र लालाराम जाति कुमार निवासी बाछडाउ जिला बाड़मेर (मैसर्स बजरंग किराणा स्टोर बाछडाउ बाड़मेर का मालिक)

परिवाद अन्तर्गत धारा 26(2)(ii) सहपठित धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006

उपस्थिति :–

1. अभियोजन अधिकारी प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. अधिवक्ता श्री भूरचन्द जांगिड, अप्रार्थी की ओर से उपस्थित।

आदेश

दिनांक : 28.06.2023

1. प्रार्थी की ओर से यह परिवाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा धारा 26 की उप धारा (2)(ii) के उल्लंघन के फलस्वरूप धारा 51 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत परिवाद के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि अप्रार्थी के प्रतिष्ठान **मैसर्स बजरंग किराणा स्टोर बाछडाउ बाड़मेर** पर निरीक्षण दिनांक **23.02.2022** को खाद्य पदार्थ **घी ब्राण्ड डेयरी बेस्ट (500 एमएल)** 500–500 एमएल पैकिंग में भरा हुआ, को मिलावट का होने के शक पर नियमानुसार 500–500 एमएल के चार पैकेट वास्ते नमूना क्रय किया जाकर नमूना संख्या **पी–1588** अंकित कर इसकी जांच खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत कराये जाने हेतु प्रपत्र–5(ए) भरकर अप्रार्थी एवं गवाह व विक्रेता के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त खाद्य पदार्थ **घी ब्राण्ड डेयरी बेस्ट (500 एमएल)** का नमूना वास्ते जांच खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ **घी ब्राण्ड डेयरी बेस्ट (500 एमएल)** का नमूना **अवमानक (Substandard)** पाये जाने पर अप्रार्थी को जरिये नोटिस सूचना दी गई, जिस पर अप्रार्थी द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Purohit
Date: 2023.08.03 17:17:41 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाडमेर

कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया। इस पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा यह परिवाद प्रस्तुत कर अप्रार्थी को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माना से दण्डित करने का निवेदन किया है।

2. अप्रार्थी को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी जरिये अधिवक्ता उपस्थित। अधिवक्ता अप्रार्थी ने लिखित जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी विधिक रूप से योग्यता धारक नहीं है एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रार्थी की उक्त पद पर नियुक्ति अवैध माना है। लिहाजा खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य सैम्पल लेने का किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी सैम्पलिंग की गई कार्यवाही अप्रार्थी की अनुपस्थिति में की गई थी एवं अप्रार्थी को गलत रूप से पक्षकार बनाया गया है। प्रकरण में खाद्य पदार्थ का नमूना डेयरी बेस्ट घी का है जबकि उक्त कम्पनी को प्रकरण में अभियोजित नहीं किया गया है। अधिवक्ता अप्रार्थी ने यह भी प्रकट किया कि सैम्पलिंग की कार्यवाही में बताये गये मोतबिरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी के अधीनस्थ कर्मचारी के रूप में कार्यरत हैं। लिहाजा स्वतंत्र गवाहों के अभाव में खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा की गई कार्यवाही अनुचित है। साथ ही सीजशुदा सैम्पल को विधि विज्ञान प्रयोगशाला तक भेजे जाने के संबंध में लिंक साक्ष्य का भी अभाव है। ऐसी स्थिति में अप्रार्थी के विरूद्ध की गई उक्त कार्यवाही निरस्त फरमाई जावे।

3. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत परिवाद का अवलोकन किया एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी द्वारा कारित अपराध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जुर्माना से दण्डनीय है तथा खाद्य पदार्थों से सम्बन्धित सुरक्षा मानकों के प्रति उदासीनता मानव स्वास्थ्य के प्रति गम्भीर अपराध की श्रेणी में माना गया है। अप्रार्थी के प्रतिष्ठान से लिये गये खाद्य पदार्थ के नमूना की खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर से प्राप्त नमूना जांच रिपोर्ट दिनांक **21.03.2022** में उक्त खाद्य पदार्थ का नमूना **अवमानक (Substandard)** पाया गया। प्रयोगशाला जांच में **Test for foreign fat** का मानक स्तर **absent** की तुलना में **present** पाया गया है जो कि मानक स्तर का नहीं है। अप्रार्थी के विरूद्ध प्रसंज्ञान लेकर नोटिस जारी किये गये। इस पर अप्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा खाद्य पदार्थ के नमूने के अवमानक पाये जाने के संबंध में कोई ठोस एवं तथ्यात्मक प्रतिवाद प्रस्तुत नहीं किया है। अप्रार्थी द्वारा उसके व्यवसाय में जिस खाद्य पदार्थ का विक्रय किया जा रहा था, उसकी

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Purohit
Date: 2023.08.03 17:17:41 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाडमेर

गुणवत्ता व मानकता के प्रति उनके दायित्व से विमुक्ति का प्रयास किया गया है। अप्रार्थी के प्रतिष्ठान से लिया गया खाद्य पदार्थ का नमूना **अवमानक** पाया गया है तथा खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं उसके अधीन बनाये गये विनियमों की सम्पूर्ण पालना किया जाना आवश्यक एवं बाध्यकारी है। लिहाजा अप्रार्थी के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्म प्रमाणित हैं।

4. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन उपरांत अप्रार्थी के विरूद्ध अपराध धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 प्रमाणित होने से अप्रार्थी पर **रूपये 250000/–** का जुर्माना अधिरोपित किया जाता है। अप्रार्थी उक्त जुर्माना राशि का बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर के नाम पेश करें, जो पेश होने पर सम्बन्धित अधिकारी को राजकोष मे जमा करवाने हेतु भिजवाया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।

5. आदेश आज दिनांक 28.06.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर (राज.)

(सुरेन्द्र सिंह पुरोहित)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर
न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाडमेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Purohit
Date: 2023.08.03 17:17:41 IST
Reason: SelfAttested